High Powered Committee to Review the Promotions of Central Secretariat Service Officers

*154. SHRI B. L. PANWAR : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have appointed a high powered committee to review the structure and promotional avenues of Central Secretariat Service (Officers) who have put in more than 15 years of service for promotion from one Grade to another;

(b) whether the committee has submitted its report; if not, by when the committee is likely to do so and the steps taken by Government to get it expedited; and

(c) whether Government are considering any further action to boost the morale of Central Secretariat Service officers; if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) A committee has been set up in December, 1991 under the chairmanship of Additional Secretary (Administrative Reforms) *inter-alia* to review the promotion prospects in Central Secretariat Service and suggest changes that are considered necessary in the existing structure of the Service with a view to improving its efficiency, effectiveness and morale of the members of the Service.

(b) The Committee is expected to submit its report by 31-7-92.

(c) No further action is considered necessary.

लघु उद्योग नीति के अन्तर्गत घोषणाओं का कार्यान्वयन

*155. श्रीमती सुषमा स्वराज :

श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 अप्रैल, 1992 के "दैनिक ट्रिब्यून" में "ए० आई० एम० ओ० चीफ वान्ट्स एस० एस० आई० पालिसी इम्पलीमेन्टेशन" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि गत वर्ष लघु उद्योग नीति के अन्तर्गत घोषित अनेक घोषणाओं को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उन घोषणाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें कार्यान्वित किया जा चुका है; और

(घ) उन घोषणाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है और उनके संबंध में सरकार की क्या भावी योजना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 6-8-1991 को घोषित "लघु, अति लघु तथा ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के लिए नीतिगत उपाय" में उल्लिखित मुख्य-मुख्य मुद्दों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

प्रमुख मुद्दे	वर्तमान स्थिति
1. अति लघु क्षेत्र में निवेश सीमा की वृद्धि	कार्यान्वित । आदेश जारी कर दिए गए हैं।
2. महिला उद्यमी उद्यमों की परिभाषा में संशोधन	कार्यान्वित । आदेश जारी कर दिए गए हैं।
3. सेवा तथा व्यावसायिक उद्यमों में संलग्न उद्योग लघु उद्योग की भांति माने जाएंगे और निवेश सीमा अति लघु उद्यमों के अनुरूप होगी।	कार्यान्वित । आदेश जारी कर दिए गए हैं।
4. मानदण्डों के आधार पर पर्याप्त ऋण निर्गम सुनिश्चित करने संबंधी प्रयास किए जाएंगे।	डिप्टी गवर्नर, आर०बी०आई० की अध्यक्षता में आर०बी० आई० द्वारा गठित एक समिति की जांच के अन्तर्गत है।

प्रमुख मुद्दे	वर्तमान स्थिति
5. लघु उद्योग में अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा ईक्विटी भागीदारी जो कुल शेयर पूंजी के 24% से अधिक नहीं होगी ।	शीघ्र ही संसद के दोनों सभा पटलों पर एक अधिसूचना रखी जाएगी ।
6. लघु उद्योगों के लिए एकीकृत अवस्थापनापरक विकास योजना ।	आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने हेतु निधि आवंटित कर दी गई है ।
7. अति लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक पृथक पैकेज ।	अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया जा रहा है ।
8. सीमित भागीदारी अधिनियम की शुरूआत ।	विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य विभाग में सक्रिय रूप से उनके विचाराधीन है ।
9. लघु उद्योग बिलों के शीघ्र भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु कानून ।	कानून के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है और संसद के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने की संभावना है ।
10. बाजार संवर्धन सहकारिता, सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं, विशेषज्ञता प्राप्त अन्य सार्वजनिक व्यावसायिक विपणन अभिकरणों तथा संघ के जरिए किया जाएगा जिसके लिए यथा आवश्यक प्रोत्साहन दिए जाएंगे ।	इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं कि यदि लघु औद्योगिक एकक एन एस आई सी अथवा राज्य लघु उद्योग विकास निगम के सामान्य ब्रान्ड नामों से अपने उत्पाद बेचते हैं तो भी उन्हें उत्पाद शुल्क में मिलने वाली रियायतें मिलती रहेंगी ।
11. नियमों तथा पद्धतियों का सरलीकरण ।	(i) कुछ मदों के लघु उद्योग में निर्माण पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है ।
	(ii) इलैक्ट्रोनिक मदों के निर्माण के लिए एक लघु औद्योगिक एकक के पंजीकरण के लिए अनेक समितियों के पास अनुमोदन की आवश्यकता होती थी । ऐसी सभी समितियां भंग कर दी गई हैं ।

Industrial Growth Centres in Karnataka

*156. SHRI J. P. JAVALI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Karnataka Government has recently submitted three projects on Industrial Growth Centres;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) by when these projects are likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) to (c) Under the Growth Centre Scheme, Karnataka has been allotted three growth centres. These would be located in the districts of Dharwad, Hassan and Raichur. The Project Reports of these centres have already been approved and a sum of Rs. 2 crores each has been released by way of central assistance. The scheme would be implemented during the Eighth Five Year Plan Period.

Export of processed sea foods

*157. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether there is any plan under Government's consideration to export only processed sea foods instead of frozen items;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether Government would consider exporting only processed food as we have enough labour force and could earn more foreign exchange?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (c) Although processed food realises better price in export market, traditional export of marine products from India is mostly in the frozen and fresh conditions. While there is no proposal to limit exports only to processed sea foods instead of frozen sea foods,